

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 29 / 2024

दायर दिनांक : 20 / 05 / 2024

निर्णय दिनांक : 19 / 12 / 2024

उनवान

1. रमेश पुत्र स्व० हीरालाल ब्राह्मण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. कमलाबाई पत्नी स्व० हीरालाल ब्राह्मण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. रूपाबाई पुत्री स्व० हीरालाल ब्राह्मण निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. सुरेश पिता भैरूलाल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्ड खतेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम निलोद प० ह० निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या आराजी न० 3015/878 रकबा 0.09 है०, आराजी न० 643 रकबा 0.15 है० आराजी न० 863 रकबा 0.87 है० आराजी न० 880 रकबा 0.43 है० आराजी न० 881 रकबा 0.08 है० आराजी न० 882 रकबा 0.20 है० आराजी न० 883 रकबा 0.23 है० आराजी न० 884 रकबा 0.18 है० आराजी न० 888 रकबा 0.20 है० आराजी न० 890 रकबा 0.01 है० आराजी न० 891 रकबा 0.27 है० आराजी न० 925 रकबा 0.17 है० कुल किता 12 कुल रकबा 2.88 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

